

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या - 33/2018
किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

| उपरोक्त | | उपरोक्त | उपरोक्त |
|-------------|--|---------|--|
| 1. | परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा | वनाम | 1. मैसर्स सर्वेश्वर सलज प्रा. लि., निवासी 106, आनन्द क्लॉथ मार्केट गांधीनगर, भीलवाड़ा डायरेक्टर अनिल पुत्र मूल चन्द, सुनील पुत्र मूल चन्द जागेटिया, निवासी आर.के. कोलोनी, भीलवाड़ा |
| ---प्रार्थी | | | ---विपक्षी |

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 15.03.2019 | <p style="text-align: center;">:: आदेश ::</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/ चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 21/08/2017 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 02/09/2017 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 01/03/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 21/03/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी हैं।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 1141 दिनांक 08/03/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम हमीरगढ़ की आराजी नं० 1706 में से 0.0435 हेक्टेयर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</p> <p>तहसीलदार हमीरगढ़ से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम हमीरगढ़ की आराजी नं० 1706 रकबा 1.13 बीघा किस्म उद्योग में से 0.0435 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में प्रभावित होकर अवाप्ति में आ रही हैं। अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के संबंध में परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा तैयार तथा स्वयं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक हमीरगढ़ से प्राप्त की गयी।</p> <p>अतः तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति तथा परियोजना निदेशक द्वारा अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के मूल्यांकन प्रतिवेदन को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम हमीरगढ़ की आराजी नं० 1706 रकबा 1.13 बीघा किस्म उद्योग में से 0.0435 हेक्टेयर भूमि</p> | <p>निर्माण/ राजमार्ग भूमि अधिसूचना प्रकाशन दो गया। इसके अधिसूचना प्रकाशन दो गया। D (2) के राष्ट्रीय प्राधिकरण, विहित प्रतिकर विहित अवलोकन त ग्राम अवाप्त प्रतिवेदन हमीरगढ़ 0.0435 होकर प्रकाशित तैयार सत्यापित र उप एवं भूमि पर लिया किस्म</p> |

मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

| क्र०सं० | विवरण | विवरण/प्रतिकर राशि |
|---------|---|--|
| 1 | आराजी नं० (ग्राम हमीरगढ़) | 1706 |
| 2 | अवाप्ताधीन रकबा | 0.0435 हेक्टेयर |
| 3 | किस्म भूमि | उद्योग |
| 4 | हितबद्ध खातेदार | मैसर्स सर्वेश्वर सलज प्रा. लि., डायरेक्टर अनिल पुत्र मूल चन्द, सुनील पुत्र मूल चन्द जागेटिया |
| 5 | दिनांक 21.08.2017 को DLC दर (प्रति बीघा) | 22,95,700- रुपये |
| 6 | दिनांक 21.08.2017 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर) | 907.64- रुपये |
| 7 | PWD के अनुसार ग्राम हमीरगढ़ की शहरी सीमा से स्थित दूरी | 10.700 कि.मी. |
| 8 | कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर) | 3,94,823- रुपये |
| 9 | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 10-20 किमी पर देय कारक 1.50 गुणा की दर से राशि | 5,92,234- रुपये |
| 10 | अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य | 4,55,473- रुपये |
| 11 | योग (9+10) | 10,47,707- रुपये |
| 12 | सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का | 10,47,707- रुपये |
| 13 | दिनांक 02.09.2017 से 15.03.2019 तक कुल 559 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से) | 72,560- रुपये |
| 14 | कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13) | 21,67,974- रुपये |
| 15 | कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती | 2,16,797- रुपये |
| 16. | हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि | 19,51,177- रुपये |

अक्षरे - उनीस लाख इकावन हजार एक सौ सीतोतर रुपये मात्र

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवार्ड अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फौसल शुमार की जावे।



(राकेश कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
श्रीवाहाड़
भीलवाड़ा

शासन) एवं
त्रवाड़ा

सलज प्रा. लि., निवासी
लॉथ मार्केट गांधीनगर,
रेक्टर अनिल पुत्र मूल
पुत्र मूल चन्द जागेटिया,
कोलोनी, भीलवाड़ा
—विपक्ष

वाई अन्तर्गत धारा 3G
LARR Act, 2013 to
निर्धारण

नम्बर व तारीख
अहकाम, जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

निर्माण/
मार्ग भूमि
अधिसूचना
प्रशासन दो
। इसके
अधिसूचना
प्रशासन दो
गया।
D (2) के
राष्ट्रीय

धिकरण,
विहित
प्रतिकर

विहित
प्रलोकन
त ग्राम
अवाप्त

प्रतिवेदन
हमीरगढ़
0.0435
होकर
ना के
तैयार
प्रतिपत्त
उप